न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

RCMS No.—2017/00277

पंचायत निगरानी संख्याः 88 / 2017

सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर।
...निगरानीकर्ता

बनाम

1. कैलाशी पत्नी गोविन्दराम ग्राम कानहडपुरा, ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, पं.स. झोटवाडा जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, जरिये सरपंच, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व निर्णय दिनांक 24.04.2012 पंचायत प्रस्ताव संख्या 13 ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, जिसके कम में पट्टा संख्या 38 दिनांक 06.09.2012 को जारी किया गया।

उपस्थितः–
1. श्री पैरोकार सरकार निगरानीकार की ओर से।
2. श्री रामधन चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.12.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, पं.स. झोटवाडा द्वारा विपक्षी अप्रार्थी संख्या 1 कैलाशी पत्नी गोविन्दराम जाति यादव निवासी ग्राम कानहडपुरा, ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा तहसील व जिला जयपुर के पक्ष में 266.66 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा संकल्प संख्या 13 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा पट्टा संख्या 38 दिनांक 06.09.2012 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.09.2013 को न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की अनुपालना में स्थानान्तरित होकर पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पैरोकार सरकार एवं वकील गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा ने विपक्षी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 06.09.2012 को जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा सुस्थापित विधिक सिद्वान्तो की पालना किए बिना पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा निगरानीधीन आदेश पारित कर गैर निगरानीकार संख्या एक के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 38 अपने परिचित एवं नजदीकी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पट्टा जारी किया गया है। पंचायत राज नियम व अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा चारागाह भूमि पर जारी किये

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

गये है। पंचायत राज नियमों के नियम 148 (1) एवं 148(2) के अनुसार पट्टा जारी करने से पूर्व जो आपत्ति नोटिस जारी किये गये उन आपत्ति नोटिसों को प्रस्तावित भूमि पर चस्पा नहीं किया गया तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के हस्ताक्षर नहीं कराये गये जिससे ज्ञात होता है कि पट्टा जारी करने के लिये खानापूर्ति कर मिसल में शामिल किये गये है। पंचायत नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृहो का नियमितिकरण के 200/– राशि जमा कर किये गये जबकि ऐसा नहीं किया गया, आबादी भूमि की खाली पडत भूमि के जारी किये गये जिनकी बाजार दर कीमत वसूल की जानी चाहिए थी, वह पंचायत द्वारा नहीं किया जाकर पंचायत नियमों की अवहेलना की गई है तथा राजकोष को हानि पहुंचाई गई है। पंचायती राज नियम 168(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की एक प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति को भेजी जानी चाहिए जो नहीं भेजी गई। पट्टा कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 7 अनुसार एवं हल्का पटवारी श्योसिंहपुरा की जांच रिपोर्ट अनुसार गांव कानहडपुरा के खसरा नंबर 31/1 रकबा 3/4 राजकीय प्राथमिक शाला कानहडपुरा के खेल मैदान की भूमि में जारी किये गये जिससे स्पष्ट है कि पट्टा निरस्त योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा विपक्षी सं. एक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 आदेश दिनांक 06.09.2012 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को विधिक प्रक्रिया अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा संख्या 38 जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार वार्ड पंचगण द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी जाकर आपत्ति नोटिस जारी किया गया। एक माह में आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत कोरम के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा के निर्णय/आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 38 को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, पंचायत समिति झोटवाडा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा विपक्षी संख्या 1 कैलाशी पत्नी गोविन्दराम जाति यादव निवासी ग्राम कानहडपुरा के पक्ष में 266.66 वर्गगज भूखण्ड का संकल्प संख्या 13 दिनांक 24.04.2012 की अनुपालना में आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा पट्टा संख्या 38 जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है एवं निगरानीधीन पट्टा चारागाह भूमि में से जारी किया गया है जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं है। पटवारी हल्का श्योसिंहपुरा की रिपोर्ट अनुसार विवादित पट्टा राजकीय प्राथमिक विद्यालय

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

खेल मैदान में आना स्पष्ट किया है। वकील गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/रिपोर्ट पेश नहीं की गई जिससे ये स्पष्ट हो कि विवादित पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया गया है। जबकि मूल पट्टा पत्रावली में वार्ड पंचगण की मौका रिपोर्ट अनुसार निगरानीधीन भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का 50 वर्षो से कब्जा है जबकि पटवारी रिपोर्ट एवं पैरोकार सरकार के कथनानुसार पट्टे की भूमि खाली है । वकील गैर निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर कब्जे संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम व नियमों की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा श्योसिंहपुरा द्वारा पंचायतीराज अधिनियम व नियमों का उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा पंचायत समिति झोटवाडा द्वारा जारी संकल्प सं. 13 दिनांक 24.04.2012 से निर्णय लेते हुये अप्रार्थी संख्या 1 के हक में आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा जारी पट्टा संख्या 38 निरस्त किया जाता है। साथ ही पत्रावली ग्राम पंचायत, श्योसिंहपुरा को साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है। प्रकरण में तहसीलदार जयपुर एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति झोटवाडा को निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त रूप से एक टीम गठित की जावे जिसमें गैर निगरानीकारान को सूचित कर विवादित भूमि का मौका निरीक्षण एवं नपती की कार्यवाही की जावे। उक्त निरीक्षण एवं भ्भूमि नपती की रिपोर्ट के आधार पर यदि निगरानीधीन पट्टे की भूमि आबादी में है तो ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा विधिसम्मत निर्णय लेवें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जयपुर एवं विकास अधिकारी पं.स. झोटवाडा को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर